



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 625]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 10, 2018/भाद्र 19, 1940

No. 625]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 10, 2018/BHADRA 19, 1940

पोत परिवहन मंत्रालय

(पी.एच.आर.डी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 850(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित

धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा वी. ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास के लिए न्यासी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए तथा इस अधिसूचना में अनुबंधित अनुसूची में निर्धारित तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 को अनुमोदित करती है।

2. उक्त विनियम शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

[सि. सं. पी.आर.-12012/4/2017- पी.ई.-1]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

अनुसूची

वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास

तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963, (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2008 में एतद्वारा संशोधन करने के लिए पुनः निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः-

1. संक्षिप्त शीर्ष तथा प्रारंभ - (1) इन विनियमों को तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 और 132 के प्रावधानों के तहत यथा अपेक्षित केंद्र सरकार का अनुमोदन शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2008 के विनियम 9 के लिए निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

9. "मौजूदा कर्मचारियों के लिए सीधी भर्ती की पात्रता – जब सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने के लिए अपेक्षित पदों का विज्ञापन किया जाता है तो किसी महापत्तन न्यास बोर्ड के निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे मामलों में उपरी आयु सीमा पचपन वर्ष से अधिक न हो।"

पाद टिप्पणी: मुख्य विनियम को भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 603 (ई) में भारत के राजपत्र में प्रकाशित तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2008 में प्रकाशित किया गया था और इसके बाद इसे निम्नलिखित के तहत संशोधित किया गया था:-

- (i) सा.का.नि. सं. 887(अ) दि. 19 नवम्बर 2015
- (ii) सा.का.नि. सं. 154(अ) दि. 08 फरवरी 2016
- (iii) सा.का.नि. सं. 1052(अ) दि. 09 नवम्बर 2016
- (iv) सा.का.नि. सं. 1148(अ) दि. 16 दिसम्बर 2016

MINISTRY OF SHIPPING

(PHRD DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2018

G.S.R. 850(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Tuticorin Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2018, made by the Board of Trustees for the V.O. Chidambaranar Port Trust and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12012/4/2017-PE-I]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

SCHEDULE

V.O. CHIDAMBARANAR PORT TRUST

Tuticorin Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2018

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of V.O. Chidambaranar Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Tuticorin Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008, namely:-

1. Short title and commencement—(1) These Regulations may be called the Tuticorin Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2018;

(2) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Official Gazette.

2. In the Tuticorin Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008, for regulation 9 the following regulation shall be substituted, namely:-

9. "Eligibility of Existing Employees for direct recruitment- When the posts required to be filled by direct recruitment are advertised, employees of the Board of any Major Port Trust possessing the prescribed qualifications and experience may also apply: Provided that the age limit in such cases shall not exceed fifty five years".

Foot Note : The Principal regulations- Tuticorin Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008 were published in the Gazette of India *vide* GSR No.603 (E) dated 21/08/2008 and was subsequently amended *vide*:—

- (i) G.S.R. No.887(E) dated 19/11/2015
- (ii) G.S.R. No. 154(E) dated 08/02/2016
- (iii) G.S.R. No. 1052(E) dated 09/11/2016
- (iv) G.S.R. No. 1148(E) dated 16/12/2016

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 851(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा-132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा कोलकाता पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए तथा इस अधिसूचना में अनुबंधित अनुसूची में निर्धारित कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 को अनुमोदित करती है।

2. उक्त विनियम शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

[मि. सं. पी.आर.-12012/4/2017- पी.ई.-1]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

अनुसूची

कोलकाता पत्तन न्यास

कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोलकाता पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति), विनियम, 2013 में एतद्वारा संशोधन करने के लिए पुनः निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः -

1. संक्षिप्त शीर्ष तथा प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 तथा 132 के प्रावधानों के तहत यथा अपेक्षित केन्द्र सरकार का अनुमोदन शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2013 के विनियम 9 के लिए निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

9. "मौजूदा कर्मचारियों के लिए सीधी भर्ती की पात्रता - जब सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने के लिए अपेक्षित पदों का विज्ञापन किया जाता है तो किसी महापत्तन न्यास बोर्ड के निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे मामलों में ऊपरी आयु सीमा पचपन वर्ष से अधिक न हो"।

पाद टिप्पणी: मुख्य विनियमों को भारत के राजपत्र (असाधारण) में सा.का.नि.सं. 687(अ), दिनांक 15.10.2013 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसके बाद इसे निम्नलिखित के तहत संशोधित किया गया था:-

- (i) सा.का.नि. सं. 23(अ), दिनांक 26 दिसम्बर 2014
- (ii) सा.का.नि. सं. 602(अ), दिनांक 31 जुलाई 2015

- (iii) सा.का.नि. सं. 724(अ), दिनांक 18 सितम्बर 2015
- (iv) सा.का.नि. सं. 151(अ), दिनांक 08 फरवरी 2016
- (v) सा.का.नि. सं. 1149(अ), दिनांक 16 दिसम्बर 2016
- (vi) सा.का.नि. सं. 506(अ), दिनांक 24 मई 2017

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2018

G.S.R. 851(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2018, made by the Board of Trustees for the Kolkata Port Trust and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12012/4/2017-PE-I]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

SCHEDULE

KOLKATA PORT TRUST

Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2018

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Kolkata Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2013, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2018;

(2) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Official Gazette.

2. In the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2013, for regulation 9 the following regulation shall be substituted, namely:—

9. "Eligibility of Existing Employees for direct recruitment- When the posts required to be filled by direct recruitment are advertised, employees of the Board of any Major Port Trust possessing the prescribed qualifications and experience may also apply: Provided that the age limit in such cases shall not exceed fifty five years".

Foot Note : The Principal regulations- Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2013 were published in the Gazette of India *vide* GSR No.687 (E) dated 15/10/2013 and was subsequently amended *vide*:—

- (i) G.S.R. No. 23 (E) dated 26/12/2014
- (ii) G.S.R. No. 602 (E) dated 31/07/2015
- (iii) G.S.R. No. 724 (E) dated 18/09/2015
- (iv) G.S.R. No. 151(E) dated 08/02/2016
- (v) G.S.R. No. 1149 (E) dated 16/12/2016
- (vi) G.S.R. No. 506 (E) dated 24/05/2017

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 852(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा दीनदयाल पत्तन न्यास के लिए न्यासी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए तथा इस अधिसूचना में अनुबंधित अनुसूची में निर्धारित कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 को अनुमोदित करती है।

2. उक्त विनियम शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

[मि. सं. पी.आर.-12012/4/2017- पी.ई.-1]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

अनुसूची**दीनदयाल पत्तन न्यास****कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018**

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963, (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीनदयाल पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2009 में एतद्वारा संशोधन करने के लिए पुनः निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः-

1. **संक्षिप्त शीर्ष तथा प्रारंभ** - (1) इन विनियमों को कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 और 132 के प्रावधानों के तहत यथा अपेक्षित केंद्र सरकार का अनुमोदन शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2009 के विनियम 9 के लिए निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

9. "मौजूदा कर्मचारियों के लिए सीधी भर्ती की पात्रता - जब सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने के लिए अपेक्षित पदों का विज्ञापन किया जाता है तो किसी महापत्तन न्यास बोर्ड के निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे मामलों में उपरी आयु सीमा पचपन वर्ष से अधिक न हो।"

पाद टिप्पणी: मुख्य विनियम को भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 767 (ई) में भारत के राजपत्र में प्रकाशित कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2009 में प्रकाशित किया गया था और इसके बाद इसे निम्नलिखित के तहत संशोधित किया गया था:-

(i) सा.का.नि. सं. 551 (अ) दि. 07 जुलाई 2015

(ii) सा.का.नि. सं. 1124 (अ) दि. 09 दिसम्बर 2016

(iii) सा.का.नि. सं. 545 (अ) दि. 02 जून 2017

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2018

G.S.R. 852(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2018, made by the Board of Trustees for the Deendayal Port Trust and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12012/4/2017-PE-I]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

SCHEDULE**DEENDAYAL PORT TRUST****Kandla Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2018**

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Deendayal Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Kandla Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, namely:-

1. Short title and commencement:- (1) These Regulations may be called the Kandla Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2018;

(2) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Official Gazette.

2. In the Kandla Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, for regulation 9 the following regulation shall be substituted, namely:-

9. "Eligibility of Existing Employees for direct recruitment- When the posts required to be filled by direct recruitment are advertised, employees of the Board of any Major Port Trust possessing the prescribed qualifications and experience may also apply: Provided that the age limit in such cases shall not exceed fifty five years".

Foot Note: The Principal regulations- Kandla Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009 were published in the Gazette of India *vide* GSR No.767 (E) dated 20/10/2009 and was subsequently amended vide:-

(i) G.S.R. No. 551 (E) dated 07/07/2015

(ii) G.S.R. No. 1124 (E) dated 09/12/2016

(iii) G.S.R. No. 545 (E) dated 02/06/2017